

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::


आ० सं०-14/विविध-915/16 सा० प्र०.....9527/पटना-15, दि०-08-7-2016

सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के आदेश सं०-9332, दिनांक-01.07.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा संयुक्त सचिव एवं अपर समाहर्ता स्तर के कुल 14 (चौदह) पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पन्न कराने हेतु दिनांक-08.07.2016 से 30.07.2016 तक पटना जिला मुख्यालय के विभिन्न शिक्षण संस्थानों (जहाँ परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं) हेतु सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में निम्नवत् प्रतिनियुक्त किया गया है।


2. उपर्युक्त आदेश के क्रमांक-3 एवं 8 के तहत प्रतिनियुक्त किये गये पदाधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह, महाप्रबंधक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना के स्थान पर निम्नांकित पदाधिकारियों को सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1	श्री रंजीत कुमार	उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना।
2	श्री रजनीश कुमार	उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना।

3. शेष यथावत् रहेंगे।


(अनिल कुमार)

ज्ञापांक -14/विविध-915/16 सा० प्र०.....9527/पटना-15, दि०-08-7-2016
सरकार के विशेष सचिव।
प्रतिलिपि :-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/संबंधित विभागाध्यक्ष/सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।